न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 11 / 2017

अपीलार्थी–

रूपसिंह पुत्र हेमसिंह
जाति राजपूत निवासी चौहटन
तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन
2. छैलसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी चौहटन तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.06.2008 जो प्रकरण सं. 75 / 1996 सरकार बनाम छैलसिंह मे तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री भैराराम, नायब तहसीलदार, पैरोकार सरकार उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

दिनांक : 11 / 03 / 2020

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण सं. 75 / 1996 सरकार बनाम छैलसिंह मे पारित निर्णय दिनांक 10.06.2008 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि सरपंच, ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा दिनांक 03.10.1982 को एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चौहटन के खसरा नम्बर 636 रकबा 09–19 बीघा आबादी भूमि के कुछ भाग पर पूर्व–पश्चिम 500 / 600 फीट व उत्तर–दक्षिण 250 / 300 फीट भूमि पर गैर सायल छैलसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी चौहटन ने चीणों के छोटे टुकड़े करीब 15 लगाकर नाजायज कब्जा कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर हटाया जावें। सरपंच, ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, के

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अन्तर्गत दर्ज कर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 12.01.1983 के द्वारा अतिक्रमी को भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट सं. 2 छैलसिंह द्वारा प्रथम अपील सं. 10/1983 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 26.07.1983 के द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर तहसीलदार चौहटन के निर्णय को यथावत बहाल रखा गया। इस न्यायालय के निर्णय उपरांत गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर दिया तथा फर्द मौका कब्जा सुपुर्दगी तैयार की गई। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.07.1983 के विरूद्ध द्वितीय राजस्व अपील प्राधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई उपरांत निर्णय दिनांक 09.06.1987 के द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार चौहटन के बेदखली आदेश एवं इस न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हुए धारा 91 की कार्यवाही ड्रॉप कर दी गई। इस पर ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा एक निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 108/87/एलआर/बाड़मेर राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, राजस्व अपील प्राधिकारी (द्वितीय) जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.06.1987 एवं तहसीलदार चौहटन के आदेश दिनांक 12.01.1983 दोनो ही निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार चौहटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि विपक्षी को पटवारी से जिरह का मौका देवें और तत्पश्चात रिकार्ड पर आई साक्ष्य को ध्यान रखते हुए नए सिरे से निर्णय पारित करें। इस निर्देश के अनुसरण में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रकरण में पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर निर्णय दिनांक 10.06.2008 पारित कर रेस्पोडेंट सं. 2 को मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए जुर्माना से दण्डित किया गया एवं मौके से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित एवं प्रभावित होना मानते हुए वर्तमान अपीलांट द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.03.2017 को प्रस्तुत की गई हैं। अपील के साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4. हमने अपीलांट के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि रेस्पोडेंट सं. 2 ग्राम चौहटन के पूर्व जागीरदार थे जिनका जागीर काल से ही ग्राम चौहटन के रामदेव मंदिर के पास पूर्व–पश्चिम 500/600 व उत्तर–दक्षिण 250/300 फीट का रहवासीय बाड़ा आया हुआ था। वक्त बन्दोबस्त पैमाईश के दौरान बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा इसे खसरा नम्बर 636 रकबा 09–19 बीघा सरकारी पडत भूमि दर्ज कर दी। ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा इसके बाद आबादी हेतु मांग करने पर आबादी हेतु आवंटन की गई हैं किन्तु भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 2 का कब्जा यथावत रहा। इस प्रकार रेस्पोडेंट सं. 2 का कब्जा विधिक अधिकार के तहत होते हुए भी बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं जो कानूनी एवं वाक्याती बड़ी भारी भूल की गई हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने के बीच तथ्य बदल चुके थे एवं मौके पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे होने की जानकारी भी रेकर्ड पर आ गई थी, ऐसी दशा में सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रकरण का निस्तारण कर दिया तथा रेस्पोडेंट सं. 2 को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट की ओर से यह भी प्रकट किया है कि रेस्पोडेंट सं. 2 ने पूर्व में जब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि विवादित बाड़ा पीढियों के वक्त से हैं किन्तु इसके बाद काफी भूखण्ड बेचान करने के बाद इस विवादित बाड़े से हटने की कोशिश में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर साक्ष्य में उलट–फेर की गई हैं। रेस्पोडेंट सं. 2 द्वारा विवादित बाड़े में से एक भूखण्ड 15 गुणा 20 फीट दिनांक 20.10.1998 को अपीलांट के पक्ष में बेचान किया गया था तथा अपीलांट के कब्जे वाले इस भूखण्ड पर ग्राम पंचायत चौहटन द्वारा नीलामी कार्यवाही में लिया गया तब अपीलांट ने उक्त नीलामी रोकने के लिए इस न्यायालय के समक्ष पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा इसके बाद रेकर्ड की जांच करने पर दिनांक 20.10.2016 को अपीलांट की जानकारी में आया कि विवादित भूमि के संबंध में बेदखली का अपीलाधीन आदेश पारित हुआ हैं। इस पर अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की नकलें दिनांक 06.03.2017 को प्राप्त कर यह अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई हैं फिर भी अपीलांट की ओर से धारा 5 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं जो स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावें तथा अभिकथित आधारों पर स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2008 निरस्त फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब मे पैरोकार सरकार ने प्रकट किया है कि अपीलांट के बिरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत चौहटन की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र अनुसार ग्राम चौहटन के खसरा नम्बर 636 रकबा 09–19 बीघा किस्म गैर मुमकीन आबादी भूमि के कुछ भाग पर पूर्व–पश्चिम 500/600 फीट व उत्तर–दक्षिण 250/300 फीट भूमि पर गैर सायल वर्तमान रेस्पोडेंट सं. 2 छैलसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत निवासी चौहटन ने चीणों के छोटे टुकड़े करीब 15 लगाकर नाजायज कब्जा अवैध अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है, इस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर निर्देशानुसार साक्ष्य रेकर्ड पर लेने के साथ ही अपीलांट एवं अन्य प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हे पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि की मौका रिपोर्ट तलब की गई एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के रिमाण्ड प्रकरण निर्देशानुसार साक्ष्यं रेकर्ड पर लेते हुए रेस्पोडेंट सं. 2 के कब्जे को अवैध अतिक्रमण मानते हुए तहसीलदार चौहटन द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.06.2008 के द्वारा अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखे जाने का आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों, उल्लेखित आधारों एवं राजकीय पैरोकार के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को ग्राम चौहटन के खसरा नम्बर 636 किस्म गैर मुमकीन आबादी भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 2 के विधिवत कब्जा एवं स्वामित्व की होना प्रकट किया है, किन्तु इसके सम्बन्ध मे कोई स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे यह साबित हों कि रेस्पोडेंट सं. 2 का कब्जा विधिवत हैं। इसके अलावा जहां तक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर दिये गये निर्देशों की पालना एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा विवादित भूमि के मौका कब्जा की जांच स्वंय तहसीलदार चौहटन द्वारा दिनांक 18.02.2008 को की गई हैं तथा फर्द मौका रेकर्ड पर ली गई हैं। अपीलांट एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारान द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में पक्षकार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बनाये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर उन्हे सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, किन्तु दौरान सुनवाई अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया हैं। इसके पश्चात प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रकट तथ्यों पर गुणावगुण पर विवेचन उपरांत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। इसके बावजूद भी यदि मुतनाजा भूमि पर रेस्पोडेंट सं. 2 कोई विधि सम्मत अधिकार है तो उसे इस अपील के संलग्न भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यद्यपि तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आ गया था कि विवादित भूमि पर अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान अवैध हस्तान्तरण के द्वारा मौके पर काबिज है, ऐसे में अपीलाधीन आदेश के द्वारा उनके विरूद्ध भी बेदखली का आदेश पारित किया जाना चाहिए था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल राजस्व मण्डल के निर्देशों की परिसीमा में रहते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एवं न ही इस न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर अपने स्वामित्व अथवा आधिपत्य हक अधिकार के बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, ऐसे मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये रेस्पोडेंट सं. 2 को अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का जो निर्णय पारित किया गया है, उसमे हमारे मत से किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2008 यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार चौहटन को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

9. निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर